

कार्यालय जिलाधिकारी, (प्रतिवेक्षण), उत्तरकाशी जिल्ला विकास विभाग, उत्तरकाशी जिला।
 05.09.2017 के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि रीकरवल उपखण्ड पारसी जमीन योजना के
 अंतर्गत विपुल जमीन निर्माण हेतु आवंटित की गई भूमि का वन उपखण्ड की गन्तव्य के तहत से
 शक्तिपूर्वक वृक्षारोपण के लिए प्राप्त कुल भूमि का 0.075 हे० भूमि का वन उपखण्ड की गन्तव्य से
 भूमि कुल 8.48 हे० भूमि की आवश्यकता की विवरण मांगे गए महोदय के आदेश दिनांक 05.09.2017
 के द्वारा प्राप्त गमरी (बंगाल) उपखण्ड पारसी के शक्तिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु 8.48 हे० भूमि उपलब्ध
 कराई गयी थी जिसमें कुल आवश्यक भूमि से 0.075 हे० भूमि कम है।

राजस्व विभाग के आधीन ग्राम गमरी (बंगाल) से भूमि उपलब्ध है। उक्त ग्राम के
 द्वारा आवंटित 8.48 हे० भूमि के अतिरिक्त 0.075 हे० भूमि ग्राम गमरी (बंगाल) से खसरा सं०
 330 व से भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। ग्राम डामटी-धुनारा 4.30 हे० भूमि
 ग्राम कुनार-सुराला 4.18 हे० भूमि शक्तिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु योग्य अवनत भूमि कुल 8.48 हे०
 भूमि एक ही स्थान पर ग्राम गमरी (बंगाल) से उपलब्ध हो सके। उक्त के अतिरिक्त इस
 कार्यालय के आदेश संख्या 8594/ग्यारह-03 (2016-17) दिनांक 05.09.2017 के द्वारा ग्राम डामटी
 धुनारा हेतु योग्य अवनत भूमि आवंटित की गयी है, को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है, कि ग्राम कुनार-सुराला एवं डामटी धुनारा में शक्तिपूर्वक वृक्षारोपण
 के लिए वन विभाग के नाम खसरा सं० 330 में 0.075 हे० अतिरिक्त भूमि अर्थात् कुल 8.48 हे०
 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने तथा ग्राम डामटी धुनारा में जिलाधिकारी महोदय के
 आदेश दिनांक 05.09.2017 द्वारा हस्तान्तरित 3.175 हे० भूमि के हस्तान्तरण आदेश को स्थगित करने
 की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

ह०/-

(डॉ आशीष चौहान)
 जिलाधिकारी,
 उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 492 ग्यारह-03 (2016-17)

दिनांक 01 नवम्बर, 20

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।
- 2- तहसीलदार, मोरी ।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक उपाकालि, वि०का०पि०ग०वि० ऊर्जा भवन देहरादून।

अपर जिलाधिका
 उत्तरकाशी।

01/1